निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 71 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर के माह 07/2015 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री नन्दन भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12/01/2018 से 17/01/2018 तक श्री नीरज चुगु, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी. के. श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं दिनेश कुमार कुमार संह, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 13/07/2015 से 20/07/2015 तक श्री ....., व.लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2012 से 06/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद - उधम संघ नगर के अधीन खंडो का सुपर वजन। कार्यो का सम्पादन

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	-	-	1.50	1.50	-	-	-	-
2015-16	-	-	1.76	1.76	-	-	-	-
2016-17	-	-	1.03	1.03	-	-	-	-
2017-18	-	-	0.88	0.88	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, उत्तराखण्ड शासन, लो॰ नि॰ व॰
प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष, लो॰ नि॰ व॰, उत्तराखण्ड
मुख्य अ भयन्ता, लो॰ नि॰ व॰, हल्द्वानी
अधीक्षण अ भयन्ता, , लो॰ नि॰ व॰, रुद्रपुर

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह

02/2016 एवं 04/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ..... का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन ..... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - 2 'अ'

शून्य

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-1 ठेकेदार के देयकों से देय `**70.89** लाख एल० डी० **(liquidated damages)** की कटोती नहीं कर ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाना तथा कार्य बन्द होने के बावजूद भी अनुबन्ध के शर्तो अनुसार ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नही कया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर के अ भलेखो की नमूना जांच (01/2018) में देखा गया क राज्य योजना/नाबार्ड-20 के अंतर्गत जनपद- ऊधम संह नगर के वधान सभा क्षेत्र सतारगंज में:

1. दोदा मोड से कटना नदी के ऊस पार सम्पर्क मार्ग 1.25 क0मी0 व 30 मी0 स्पान प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतुशासनादेश संख्याः 6755/III(2)/13-06 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 31-12-2013 द्वारा `331.00 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
2. देवनगर फुटबाल फल्ड से वष्णु प्रामा णक के घर तक मार्ग निर्माण एवं कटना नदी पर 36 मी0 स्पान आर0 सी0 सी0 प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतुशासनादेश संख्याः 6754/III(2)/13-06 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 31-12-2013 द्वारा रू. 399.44 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

ऊपरोक्त दोनों कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व., हल्द्वानी द्वारा पत्रांकः-180/01/यात्रा/हल्द्वानी/2014 दिनांकः 06/02/2014 व पत्रांकः 182/01/यात्रा/हल्द्वानी/2014 दिनांकः 06/02/2014 के माध्यम से लागत `**331.00**लाख व रू. 399.44 की प्रदान की गयी थी।कार्यालय के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क दोनों कार्य पर आति थ तक `**497.04** लाख (`**243.05**लाख +`**253.97** लाख)व्यय कया गया है और दोनों कार्य अपूर्ण है व देवनगर फुटबाल फल्ड से वष्णु प्रामा णक के घर तक मार्ग निर्माण एवं कटना नदी पर 36 मी0 स्पान आर0 सी0 सी0 प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्यबन्द है।

ऊपरोक्त दोनों कार्यो हेतु कार्यालय द्वारा M/s वुडहिल इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 ल0(अनुबन्ध संख्या - 22/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014कुल लागत `327 लाख व अनुबन्ध संख्या - 20/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014कुल लागत `382 लाख)के साथ गठित कया जिसके अनुसार क्रमशः कार्य प्रारम्भ 20/09/2014 व कार्य समाप्ति की निर्धरित ति थ 19/03/2016

(18 महीने) तथा कार्य प्रारम्भ 20/09/2014 व कार्य समाप्ति की निर्धरित ति थ 19/12/2015 (15 महीने) थी आतिथी तक अपूर्ण कार्य के निष्पादन मे कुल `**497.04** लाख का व्यय कया गया है। जब क अनुबन्ध के अनुसार दोनों कार्य पर निम्न माइल स्टोन निर्धरित कए गए थे।

		22/SE-04/2014 दिनांक20.09.2014-	20/SE-04/2014 दिनांक20.09.2014-
माइल स्टोन 1	%15	माह 6	**5** माह
माइल स्टोन 2	%50	माह 12	**10** माह
माइल स्टोन 3	100%	माह 18	**15** माह
वलम्ब		**21** माह	**24** माह

इस प्रकार दोनों कार्य को क्रमश: 21व 24 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कया गया था (01/2018 तक)। इस सम्बंध मे कार्यालय द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध के शर्तो (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धरित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न कए जाने पर देयकों से देय `70.89लाख (अनुबन्ध 22/SE-04/2014-630 दिन X `16366प्रति दिन {`1.03 करोड़ ल मटेड to 10% ऑफ अनुबन्ध `32.73 लाख} तथा अनुबन्ध 20/SE-04/2014- 720दिन X `19077प्रति दिन {`1.37 करोड़ ल मटेड to 10% ऑफ अनुबन्ध 38.16 लाख})के हिसाब सेएल० डी० (liquidated damages) की कटोती नहीं की गयी थी,इसके साथ-साथ ठेकेदार द्वारा समय वृद् ध हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था । इस प्रकार ठेकेदार को बिलम्ब हेतु अर्थदण्ड नही लगा कर कार्यालय द्वारा ठेकेदार को `70.89लाख का अनु चत लाभ पहुचाया गया, साथ ही समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नही होने पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है क कार्यालय कार्य को सही महत्व नही दे रहा था साथ ही ठकेदार पर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं की गयी जो क अ धकारियों की लापरवाही को भी परिल क्षत करता है।

आगे अ भलेखो की जांच मे यह भी पाया गया क इस कार्य पर अनुबन्ध के clause 13 के शर्तो के अनुसार इन्सोरेंनस भी नहीं करवाया गया था और अनुबन्ध के clause 13.3 के अनुसार कार्यालय द्वारा कारवाही भी सुनिश्चित नहीं की गयी थी। कार्यालय की निरीक्षण पत्रावली मे पाया गया क केवल कार्य की प्रगति बढाये जाने हेतु निर्दे शत कया गया था जब क अनुबन्ध संख्या - 20/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014कुल लागत `382.00 लाख कार्य बन्द होने के बावजूद भी अनुबन्ध के शर्तो अनुसार कारवाही कए जाने के आदेश नहीं दिये गये थे।

उक्त के संदर्भ मे इं गत कए जाने पर वृत्त कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क खंडीय कार्यालय से आख्या मांगकर अतिशीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी। वृत्त कार्यालय का उत्तर

तर्कसंगत नहीं था क्यो क अनुबंध अधीक्षण अ भयंता स्तर से गठित कया गया था इस लए कार्य का समय-समय पर निरीक्षण एवं उस पर दिशा निर्देश अधीक्षण अ भयंता द्वारा दिया जाना चाहिए था तथा अनुबंध के clause के अनुसार उक्त पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

अतः ठेकेदार के देयकोंसे देय ` 70.89लाख एल० डी० (liquidated damages) की कटोती नहीं कर ठेकेदार कोअनु चत लाभ पहुचाने तथा कार्य बन्द होने के बावजूद भी अनुबन्ध के शर्तो अनुसार ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नही कये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 वभागीय श थलता के कारण चतुर्थ श्रेणी के अव ध का सामान्य भ वष्य नि ध का अ भदान एवं ब्याज तृतीय श्रेणी की धनरा श मे नही जुड़ना तथा सामान्य भ वष्य नि ध से अ धक भुगतान की गयी धनरा श की वसूली नही हो पाना ।

कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर के अ भलेखो की नमूना जांच (01/2018) मे पाया गया क :-

(अ) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड के पत्रांक दिनांक-30.04.2013 के द्वारा इं गत कया गया था क श्री खम संह चौहान, मुख्य सहायक (सेवानिवृत) की सामान्य भ वष्य नि ध के 10% भुगतान प्रकरण की गणना करते समय पाया गया क श्री खम संह चौहान को ` 42,780.00 का अ धक भुगतान कया गया। इसी प्रकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड के पत्रांक दिनांक-08.04.2010 के द्वारा इं गत कया गया था क श्री गुसाई राम, चालक (सेवानिवृत) के सामान्य भ वष्य नि ध के 10% भुगतान प्रकरण की गणना करते समय पाया गया क श्री गुसाई राम को ` 1,04,107.00 का अ धक भुगतान कया गया तथा यह अनुरोध कया गया था क उपरोक्त धनरा श की शीघ्र वसूल कर चालान द्वारा लेखाशीर्षक 8009 राज्य भ वष्य नि ध चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त मे जमा कराये। इस क्रम मे कार्यालय के अ भलेखो के अवलोकन मे पाया गया क उपरोक्त धनरा श संबन्धित कर्मचारी के चतुर्थ श्रेणी के अव ध की एवं ब्याज से संबन्धित थी जो वभागीय श थलता के कारण कर्मचारी के तृतीय श्रेणी मे पदोन्नति पर जी0पी0एफ0 लेखा मे स्थानातरित नही हो पायी थी। जिससे संबन्धित कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यो को मान सक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था ।

(ब) इसी प्रकार वृतकार्यालय के अ भलेखो की जांच मे आगे यह भी पाया गया क कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक- 1/एम0बी0आर0 सेल/ दिनांक-20.05.2014 द्वारा बताया गया था क श्री भैरव दत्त पांडे, मुख्य सहायक (सेवानिवृत) को ` 99,112.00 का अ धक भुगतान कया गया था जिसकी वसूली के आदेश दिये गए थे। इस संबंध मे वत्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख अ भयंता द्वारा पत्रांक- 92/45 सा0भ0नि0/2014-15 दिनांक-05.06.2014 द्वारा भी वसूली करने के निर्देश दिये गए थे। इस संबंध मे प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड के पत्रांक-227/45/ सा0भ0नि0/17-18 दिनांक-15.07.2017 मे भी वसूली की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र नही

करने पर अत्यंत खेद जताया गया था। वृत ने अपने पत्रांक-2324/02 व्यख-04 दिनांक 21.07.2017 मे प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड को लखे गए पत्र मे कहा था क वसूली हेतु अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, रुद्रपुर के पत्रांक-1037/12 जी0ई0 दिनांक-25.04.2015 द्वारा जिला धकारी नैनीताल को पत्र लखा गया हैं।

इस ओर इं गत करने पर कार्यालय द्वारा (अ) के संबंध मे अवगत कराया गया कखंडीय कार्यालय को समय समय पर प्रकरण के निस्तारण हेतु निर्दे शत कया गया हैं। एवं धनरा श के समायोजन हेतु लगातार महालेखाकार देहारादून एवं वत्त नियंत्रक, लो0नि0 व0 देहारादून से पत्राचार कया जा रहा हैं। (ब) के संबंध मे कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क संबन्धित खंड के अ धशासी अ भयंता से आख्या मांगकर प्रस्तुत कर दी जाएगी। खंड का उत्तर मान्य नही है। क्यो क वभागीय श थलता के कारणश्री खम संह चौहान,मुख्य सहायक (सेवानिवृत) एवं श्री गुसाई राम, चालक (सेवानिवृत) की चतुर्थ श्रेणी के अव ध का सामान्य भ वष्य नि ध का अ भदान एवं ब्याजतृतीय श्रेणी की धनरा श मे नही जुड सका एवं श्री भैरव दत्त पांडे, मुख्य सहायक (सेवानिवृत) को अ धक भुगतान की गयी धनरा श की वसूली नही की जा सकी थी।

अत: वभागीय श थलता के कारणचतुर्थ श्रेणी के अव ध का सामान्य भ वष्य नि ध का अ भदान एवं ब्याजतृतीय श्रेणी की धनरा श मे नही जुड़ने एवं सामान्य भ वष्य नि ध से अ धक भुगतान की गयी धनरा श की वसूली नही हो पाने का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
07/2008-09	-	01, stan - 1
26/2012-13	-	01,02
37/2015-16	-	01,02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत निरीक्षण प्रतिवेदनो के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या व्रत्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है , अवगत कराया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर(उधम संह नगर) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री जी॰ एस॰ पंगती	24/11/2012 से 13/05/2016
(ii)	श्री जी॰ सी॰ वश्वकर्मा	13/05/2016 सेअब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

-शून्य-

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर(उधम संह नगर) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II